तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-05-26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारन अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्तओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित पदो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमियों में प्रार्थी के मकानात इत्यादि बने हुए तथा विप्रार्थीगण 05 व 06 का उनके बाप–दादाओ के समय से कब्जा काश्त निर्बाध एवं निरन्तर रूप से कायम है। विवादित भूमि में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता राणाराम की पैतृक भूमि है, राणाराम द्वारा विवादित भूमियो से 1/4 हिस्स प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बेचान किया गया परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी ने बेचान अनुसार नामान्तरण न कर जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के कॉलम संख्या 16 में राणा पुत्र मोडा का नाम खारिज कर ओमप्रकाश पुत्र सोहनराज राणा के हिस्सा 3/4 दर्ज कर दिया राजस्व रेकर्ड में दर्ज उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर विप्रार्थीगण पार्टी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, यदि विप्रार्थी पार्टी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अस्थाई जारी करने क तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दौराने वाद विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी द्वारा अदालत हाजा में घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके निस्तारण में समय लगगे। अस्थाई जारी करने के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है तथा विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र के निस्तारण तक अदालत हाजा द्वारा दिनांक 19.07.2022 को विवादित भूमियां ग्राम करमावास तहसील समदडी के खसरा संख्या 681/77, 680/77 व 78 रकबा क्रमशः 5.6575, 05.6494 हैक्टैयर व 0.09 बीघा भूमि में मौका एवं रेकर्ड की अस्थाई आदेश की पुष्टि(Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे। आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	